

दिनांक	आज्ञा पत्र	
23-9-24	<p>पत्रावली प्रस्तुत अभिवादन करी के पत्रावली कार्य स्थगित रखा। पत्रावली पुनः उपरोक्त तारीख दिनांक 23-12-24 को करी के</p>	
20-12-24	<p>पत्रावली पेश। डी.टी. नं. 39 रोल नं. 100 के लिए डी.टी. नं. 39 जारी की जाय। दिनांक 19-12-24 को करी के</p>	
19-2-25	<p>पत्रावली पेश। डी.टी. नं. 39 रोल नं. 100 के लिए डी.टी. नं. 39 जारी की जाय। दिनांक 19-5-25 को करी के</p>	
19-5-25	<p>पत्रावली पेश। डी.टी. नं. 39 रोल नं. 100 के लिए डी.टी. नं. 39 जारी की जाय। दिनांक 5-6-25 को करी के</p>	
5-6-25	<p>पत्रावली पेश। डी.टी. नं. 39 रोल नं. 100 के लिए डी.टी. नं. 39 जारी की जाय। दिनांक 3-7-25 को करी के</p>	
3-7-25	<p>पत्रावली पेश। वकील अपीलांट ने उपस्थित होकर जाहिर किया कि वो अपील चलाना नहीं चाहते हैं अब अपील नोट प्रेस में खारिज की जाये। हमने वकील अपीलांट से आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाये कि वे अपील नोट प्रेस में खारिज करने में सहमत है। फलस्वरूप अपील अपीलांट नोट प्रेस में खारिज की जाती है निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फौजल शुमार होवर नम्बर से कम होकर बाद तारीख तकमील दाखिल दफतर हो।</p> <p>मू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी नीकर</p>	